प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1815 /2018

1 – श्रीमती. सावित्री बाई पति स्वर्गीय भगवती प्रसाद, 54 वर्ष , निवासी गोपी महाक, खरसिया, तहसील खरसिया जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़

2 – संजू कुमार पिता स्वर्गीय भगवती प्रसाद, 36 वर्ष, निवासी गोपी महाक, खरसिया, तहसील खरसिया – जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

3 – अनिल कुमार पिता स्वर्गीय भगवती प्रसाद की आयु पिता 32 वर्ष, निवासी गोपी महाक, खरसिया, तहसील खरसिया जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़

4 – ललित कुमार पिता स्वर्गीय भगवती प्रसाद, 30 वर्ष,निवासी गोपी महाक, खरसिया, तहसील खरसिया जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

..... अपीलार्थी/दावेदार

बनाम

1 – इंदरकुमार गेबेल पिता बलदेव कुमार निवासी एस.ई.सी.एल., डोमनारा कॉलोनी, पी ओ. फरकानारा तहसील खरसिया जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़।(चालक)

2 – द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी शाखा प्रबंधक के द्वारा ऑफिस शाखा कार्यालय सतीगुड़ी चौक के पास, रायगढ़, तहसील तथा जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़ (बीमा कंपनी)।

..... उत्तरवादीगण

अपीलकर्तागण हेतु :–––श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :–––कोई नहीं

माननीय श्री संजय कुमार जयस्वाल,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

(02 . 04 .2025)

1. यह अपील प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 94/2014 में पारित दिनांक 04.09.2018 के अधिनिर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं/दावेदारों को उनकी अपूरणीय क्षति के लिए 50,000/– रुपए का क्षतिपूर्ति 09% प्रति वर्ष ब्याज के साथ देने का आदेश दिया गया है।

2. दावा याचिका में संक्षेप में यह कहा गया था कि भगवती प्रसाद सिविल अस्पताल, खरसिया में एक्स–रे ऑपरेटर के पद पर पदस्थ थे।दिनांक 19.01.2013 को दोपहर लगभग 1:00 बजे जब वह अस्पताल से भोजन के लिए अपने घर जा रहा था, उस समय आपत्तिजनक वाहन इंजन क्रमांक 10–ए–बी–5–जेड–122770089 के चालक उत्तरवादी क्रमांक 1 ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मृतक भगवती प्रसाद को टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इसके बाद भगवती प्रसाद को खरसिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिंदल अस्पताल रायगढ़ रेफर कर दिया गया। अस्पताल में वह दिनांक 19.01.2013 से 30.01.2013 तक तथा दिनांक 06.02.2013 से 08.02.2013 तक भर्ती रहा तथा उसके हाथ का ऑपरेशन किया गया। परिवाद के आधार पर वाहन के चालक/उत्तरवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।अत:, भगवती प्रसाद द्वारा 5,84,400/– रुपए का दावा आवेदन दायर किया गया था, लेकिन दावा आवेदन के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु 10.03.2016 को हो गई, इसलिए भगवती प्रसाद का प्रतिनिधित्व उनके विधिक उत्तराधिकारियों अर्थात दावेदारों/अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. न्यायाधिकरण द्वारा पक्षों के तर्क और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा अपीलकर्ता ललित कुमार (एडब्ल्यू–1) के कथन के आधार पर पारित निर्णय में पाया गया कि उसके पिता ने अपना इलाज स्वयं के खर्चे पर कराया था, इस प्रकार मृतक दावेदार की मृत्यु के साथ ही स्वयं के दर्द और शारीरिक चोट के लिए क्षतिपूर्ति का व्यक्तिगत अधिकार समाप्त हो गया।अतः, परिचारक के खर्च के लिए 10,000/– रुपए और मानसिक पीड़ा के लिए 10,000/– रुपए चारों दावेदारों को दिए जाने का आदेश दिया गया।इस प्रकार कुल 10,000/– रुपए का क्षतिपूर्ति दिया गया। दावेदारों के पक्ष में 50,000/– रुपये का क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है, तथा उत्तरवादी संख्या 2 बीमा कंपनी को दावेदारों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक्स.पी–18, पी–19 और पी–21 से स्पष्ट है कि मृतक भगवती प्रसाद 8 दिनों तक जिंदल अस्पताल में भर्ती रहा (अर्थात 06.02.2013 से 08.02.2013 तक, 20.02.2014 से 22.02.2014 तक और 11.07.2014 से 12.07.2014 तक) और उसका इलाज चला तथा वह लंबे समय तक मानसिक पीड़ा से पीड़ित रहा है।उन्होंने यह भी कहा कि उक्त दुर्घटना के कारण मृतक

को गंभीर चोटें आईं और बाद में उसे लगी चोटों के कारण 10.03.2016 को उसकी मृत्यु हो गई।विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक द्वारा वहन किए गए चिकित्सा व्यय पर विचार नहीं किया है तथा उस आधार पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिया है। अतः, क्षतिपूर्ति राशि को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।

5. इस प्रकरण की अंतिम सुनवाई के दौरान उत्तरवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

6. अपीलकर्ता के अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

7. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री के अवलोकन से, विशेष रूप से डिस्चार्ज टिकट (एक्स.पी–18, पी–19 और पी–21) को देखने से यह स्पष्ट है कि मृतक को लगभग 8 दिनों तक जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसका इलाज किया गया था। परंतु दावा आवेदन के लंबित रहने के दौरान, 10.03.2016 को उसकी मृत्यु हो गई, और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। हालांकि, किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि मृतक भगवती प्रसाद की मृत्यु उक्त दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कहलों उर्फ जसमेल सिंह कहलों (मृतक) के मामले में उनके विधिक प्रतिनिधि नरिंदर कहलों गोसाकन और अन्य के माध्यम से, 2021 सीजे (एससी) 752 में रिपोर्ट किया है, स्पष्ट रूप से माना है कि एमवी अधिनियम की धारा 166 के तहत दायर व्यक्तिगत चोट का दावा दावेदार की मृत्यु पर विधिक प्रतिनिधियों के लिए जीवित नहीं रहेगा, सिवाय दावेदार की संपत्ति को हुए आर्थिक नुकसान के दावे के। उक्त निर्णय के कंडिका–10 में निम्नलिखित रूप में देखा गया है:–––––

"10. उम्मेद चंद गोलचा बनाम दयाराम एवं अन्य, 2002 (1) एमपीएलजे 249 में, अधिनियम के प्रावधानों की व्यापक उदार व्याख्या करते हुए ताकि कानूनी प्रतिनिधियों को अन्याय न सहना पड़े, यह देखा गया कि दुर्घटना से असंबंधित घायल की मृत्यु पर व्यक्तिगत चोटों के लिए दावा जीवित नहीं रहेगा लेकिन कानूनी प्रतिनिधि संपदा के नुकसान के लिए दावे को बढ़ाने के लिए दावा कर सकते हैं जिसमें चिकित्सा व्यय, यात्रा, परिचर, आहार, डॉक्टर की फीस और एक निश्चित अवधि के लिए संपदा में उचित मासिक वार्षिक वृद्धि पर व्यय शामिल होगा। यह सामान्य बात है कि एक व्यक्ति जो आय प्राप्त करता है वह संयुक्त रूप से स्वयं पर, अपने परिवार पर खर्च का हिस्सा बनती है और बचत संपदा में जाती है।उपर्युक्त अप्रत्याशित व्यय स्वाभाविक रूप से संपत्ति से वहन किए जाने चाहिए, जिससे संपत्ति को आर्थिक नुकसान होता है। "

9. न्यायाधिकरण ने चार दावेदारों को मानसिक पीड़ा के लिए 40,000 रुपये (प्रत्येक दावेदार को 10,000 रुपये) दिए हैं। यह एक क्षति का प्रकरण है। मानसिक पीड़ा के लिए क्षतिपूर्ति दुर्घटना में घायल हुए लोगों को दिया जाता है, घायलों के उत्तराधिकारियों को नहीं।घायल के उत्तराधिकारी संपत्ति के आर्थिक नुकसान जैसे चिकित्सा व्यय, यात्रा, परिचर्या, आहार आदि के लिए हकदार हैं।

10. दावेदारों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिलों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि घायल ने अपने चिकित्सा व्यय में 1,60,813/– रुपये खर्च किए हैं और दावेदार उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं।अतः, उपरोक्त निर्णय के आलोक में, घायल की मृत्यु होने पर व्यक्तिगत चोटों के लिए दावा मान्य नहीं होगा, और इसलिए, दावेदार निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति के हकदार पाए जाते हैं:–––

शीर्ष	**क्षतिपूर्ति**
चिकित्सा खर्च	1,60,813/–
घायलों को शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा	40,000/–
पौष्टिक भोजन, सहायक तथा परिवहन खर्च	20,000/–
कुल	रु. 2,20,813 –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस प्रकार, कुल मुआवजे की पुनर्गणना रु 2,20,813/– रुपये की जाती है।

12. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। दावेदार/अपीलकर्ता, दावा न्यायाधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में पहले से दिए गए क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त 1,70,813/– (2,20,813–50,000) रुपये के हकदार होंगे। बढ़ी हुई राशि पर अधिनिर्णय की वृद्धि की तिथि से उसके प्राप्त होने तक 6% की दर से ब्याज लगेगा। आक्षेपित अधिनिर्णय उपरोक्त सीमा तक संशोधित माना जाएगा और शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

13. रजिस्ट्री को आगे निर्देश दिया जाता है कि वह दावेदार को इस अपील में "बढ़ी हुई राशि" के बारे में लिखित रूप में सूचित करे, जैसा कि अधीनस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध है।उक्त पत्र व्यवहार हिंदी/देवनागरी भाषा में किया जाना चाहिए तथा दावेदारों के निवास वाले संबंधित क्षेत्र के विधिक सहायता सचिव के समन्वय से अर्धन्यायिक कार्यकर्ताओं की सहायता ली जा सकती है।

सही/–

(संजय कुमार जयस्वाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur